



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2011/आश्विन 20, 1933

No. 1958]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011/ASVINA 20, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2350(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 6 नवम्बर, 2009 की सं. का.आ. 2852(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

**संशोधन:**

मादीपुर जोन (जोन जी-10) में 2.5 हेक्टेयर के भू-उपयोग का 'आवासीय उपयोग' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग (अस्पताल)' में परिवर्तन । चारदीवारी का विवरण निम्नानुसार है:-

स्थिति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
मादीपुर (जोन 'जी-10')	2.5 हेक्टेयर	"आवासीय उपयोग"	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग (अस्पताल)	उत्तर- हरित क्षेत्र(पार्क) दक्षिण - आवासीय प्लैट पूर्व- प्लैट एवं स्कूल पश्चिम- स्कूल एवं खुला स्थान

[फा. सं. के-13011/13/2009-डी डी 1 बी]  
सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**  
(Delhi Division)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2011

**S.O. 2350(E).**— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.2852(E) dated 6<sup>th</sup> November, 2009 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government

hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

### Modification :

The change of land use of 2.5 Ha. from 'Residential Use' (to 'Public and Semi-public Use (Hospital)' at Madipur Zone (Zone G-10). The boundary descriptions are as under:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Madipur (Zone 'G-10')	2.5 Ha.	'Residential Use'	'Public and Semi-Public Use (Hospital)	<b>North:</b> Green Area (Park) <b>South:</b> Residential Flats <b>East:</b> Flats & School <b>West :</b> School & Open Space

[F. No. K-13011/13/2009-DD[B]

SUNIL KUMAR, Under Secy.